

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 09/2014 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 06-03-2014

कविलास पुत्र रामस्वरूप, उम्र 44 वर्ष, जाति जाटव, निवासी ग्राम छरेंटा (ऐन्हो) परगना गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

.....अपीलार्थी / प्रतिवादी

बनाम

सुरेश पुत्र खचेरे, उम्र 41 वर्ष, जाति जाटव, निवासी ग्राम छरेंटा (ऐन्हो) परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

.....प्रत्यर्थी / वादी

अपीलार्थी द्वारा श्री सागर सिंह कंषाना अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधि०

// निर्णय //

(आज दिनांक **07-10-2017** को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा वर्तमान व्यवहारवाद अपील अंतर्गत धारा 96 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद, पीठासीन अधिकारी श्री एस०के० तिवारी द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 98ए/2012 (सुरेश विरुद्ध कविलास) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2013 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध वादी/प्रत्यर्थी की ओर प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया है। आगे के पदों में अपीलार्थी को प्रतिवादी एवं प्रतिअपीलार्थी को वादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि

ग्राम छरेंटा एन्हों में वादी का पूर्वजों के समय से पक्का मकान बना हुआ है जिसके पश्चिम दिशा में वादी की खुली हुई 10 फिट चौड़ी एवं 20 फिट लम्बी जगह है जो कि वादी के मकान का ही भाग है और उक्त जगह ही विवादित है। विवादित स्थल जिसे वादी के द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में अ,ब,स,द से लालस्याही से प्रदर्शित किया गया है। उक्त विवादित स्थल पर वादी के पशु बंधते हैं और उस पर वादी का कब्जा वर्ताव है। प्रतिवादी का उक्त स्थल से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी के मकान का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर आर.सी.सी. गली में है और विवादित स्थल की ओर प्रतिवादी के मकान का पिछवाड़ा है। दिनांक 09.07.12 को प्रतिवादी विवादित जगह पर आया और अपने मकान में दरवाजा कराने हेतु नापतौल कराने लगा तब वादी ने पूछा तो बताया कि वह अपने मकान में पीछे की ओर दरवाजा कर रहा है और उसी दरवाजे से दक्षिण दिशा की तरफ आवागमन करेगा, जिस पर वादी ने दरवाजा करने से मना किया तो प्रतिवादी झगडा करने पर आमादा हो गया और वादी द्वारा जोड़ी गई पंचायत की बात भी प्रतिवादी ने नहीं मानी। यदि प्रतिवादी ने वादग्रस्त जगह में दरवाजा कर लिया तो वादी उक्त जगह के उपभोग व उपयोग से बंचित हो जाएगा और उसका हित प्रभावित होगा। अतः इस संबंध में वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान करने एवं वादी के कब्जा वर्ताव में प्रतिवादी द्वारा वाधा उपत्पन्न करने से निषेधित करने बावत् निवेदन किया गया है।

03. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अभिकथित प्राक्कथनों से प्रत्याख्यान करते हुए विशेष कथनों में यह आधार लिया गया है वादी के मकान के पश्चिम दिशा में 10 x 20 फिट खुली जगह वादी के स्वामित्व आधिपत्य की नहीं है, बल्कि प्रतिवादी का उसके पूर्वजों के समय से ही उक्त जगह में परनाला व निकास की गली है। वादी ने वादपत्र के साथ जो नक्शा पेश किया है वह गलत है। प्रतिवादी का उक्त जगह में पूर्वजों के समय से दरवाजा है, उसके द्वारा दिनांक 09.07.12 को कोई नापतौल दरवाजा करने के संबंध में नहीं की गई है और दावे की आड में वादी गली को हडप करना चाहता है। वादी ने अपने आधिपत्य का कोई आधार भी प्रस्तुत नहीं किया है और इसी आधार पर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त करने का निवेदन किया है।

04. अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, साक्षियों का परीक्षण कराया गया है एवं दस्तावेज प्रमाणित कराये गये हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोष पर निराकरण करते हुये उक्तानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत दावा प्रमाणित पाते हुए वादी का वाद डिक्री किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

05. अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं कर वाद विषयों का सही निष्कर्ष नहीं निकालने में त्रुटि किये जाने एवं एवं आलोच्य आदेश उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. प्रत्यर्थी/वादी की ओर से आलोच्य निर्णय को विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. अपील याचिका पर अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सागर सिंह कंषाना तथा प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी.एस. गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क्र० 98ए/2012 ई०दी० (सुरेश बनाम कविलास) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2013 एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

08. अपील प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्र० 98ए/2012 ई०दी० (सुरेश बनाम कविलास) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2013 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है?
02.	क्या अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है ?
03.	क्या अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है?

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

०९. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और प्रकरण में आई साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकाला है।

१०. प्रकरण में यदि देखा जाए तो वादी/प्रत्यर्थी का विचारण न्यायालय में यह आधार रहा है और इस संबंध में वादी की ओर से साक्षी सुरेश वा०सा० १, प्रेमनारायण वा०सा० २, भगवानसिंह वा०सा० ३ के कथन भी कराए हैं कि वादग्रस्त १० x २० फिट का वादग्रस्त स्थान वादी के स्वत्व व आधिपत्य का है जिसमें प्रतिवादी कविलास दरवाजा व परनाला निकालने का प्रयास कर रहा है और मना करने पर झगड़ा करने को तैयार है। इस संबंध में वादी की ओर से वादग्रस्त स्थान के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें वादग्रस्त स्थान दिखाई दे रहा है। जबकि इस संबंध में प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से लिए गए आधार का अवलोकन किया जाए तो प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर में यह आधार लिया है कि वादग्रस्त स्थान से वादी का कोई सरोकार नहीं है और वादग्रस्त स्थान पर प्रतिवादी का दरवाजा पूर्वजों के समय से है जिसके परनामा एवं निकास की जगह रही है। साथ ही यह आधार भी लिया है कि वादग्रस्त स्थान प्रतिवादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है। प्रतिवादी की ओर से पक्ष समर्थन में प्र. डी. २ का बिक्रयपत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अपने पक्ष समर्थन में अपीलार्थी/प्रतिवादी कविलास प्र०सा० २ का परीक्षण कराया गया है।

११. वादी वादग्रस्त भूमि को अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की होना अभिकथित करता है, जबकि प्रतिवादी/अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि को अपने स्वत्व एवं आधिपत्य में होना अभिकथित करता है। वादी साक्षियों ने वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होने एवं कब्जा होने संबंधी आधार लिया है। साथ ही इस आशय के कथन रहे हैं कि वादग्रस्त स्थान पर वादी की भैंस बंधती है तथा खनोटे बने हैं एवं मशीन लगी है। यदि इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी मानसिंह प्र०सा० २ के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका ५ में स्पष्ट स्वीकार किया है कि वादग्रस्त स्थान पर वादी की भैंस बंधती है व खनोटे बने हैं। अतः वादी साक्षी की ओर से लिए गए इस तथ्यों की पुष्टि कि

वादग्रस्त स्थान पर वादी का कब्जा है प्रतिवादी साक्षी मानसिंह प्र०सा० 2 के कथनों से होती है।

12. प्रकरण में वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि के स्वत्व घोषणा संबंधी सहायता चाही गई थी जिसे विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, किन्तु इस संबंध में वादी/प्रत्यर्थी की ओर से कोई प्रतिअपील प्रस्तुत नहीं की गई है। जहाँ तक प्रतिवादी/अपीलार्थी का प्रश्न है, प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि को अपने वादोत्तर में स्वयं के स्वामित्व की होने संबंधी आधार लिया है, किन्तु वादी साक्षी कबिलास प्र०सा० 1 स्वयं के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व की न होकर सार्वजनिक है और उसकी नहीं है। इस तथ्य को प्रतिवादी साक्षी मानसिंह प्र०सा० 2 ने भी अपने कथनों में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त स्थान एक सार्वजनिक रास्ता है। अतः प्रतिवादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में आए कथनों से ही यह स्पष्ट होता है कि जिस स्थान पर प्रतिवादी अपना जबाबदावे में स्वामित्व होने संबंधी आधार लेता है, उसी स्थान को प्रतिपरीक्षण के दौरान अपने स्वामित्व में न होकर सार्वजनिक होने संबंधी स्वीकारोक्ति करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के स्वामित्व की थी विचारणीय नहीं रह जाती है।

13. प्रकरण में वादी की ओर से जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए हैं और प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी साक्षियों के कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान जो तथ्य आए हैं उससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त स्थान वादी के आधिपत्य में है जिस पर वादी की भैंस बंधती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त स्थान पर वादी/अपीलार्थी का आधिपत्य होने संबंधी जो निष्कर्ष निकाला है वह प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है।

14. जहाँ तक प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से लिए गए आधार का प्रश्न है कि वादग्रस्त स्थान पर उसके मकान में पीछे की ओर कोई दरवाजा या परनाला था, इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ प्र.पी. 1 में प्रतिवादी के मकान की दीवाल पूर्णतः बंद दिखाई दे रही है। इसी प्रकार प्र.पी. 2 के फोटोग्राफ में भी हालांकि दीवाल आधी टूटी हुई दिखाई दे रही है, किन्तु ऐसा दर्शित नहीं होता है कि उस स्थान पर कोई दरवाजा हो अथवा कोई परनाला निर्मित है। अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से प्रतिवादी/अपीलार्थी न तो यह प्रमाणित कर पाया

है कि उसके मकान के पिछले हिस्से में कभी कोई दरवाजा स्थित था अथवा परनाला था। ऐसी स्थिति में इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है वह प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है।

15. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी के आधिपत्य होने एवं प्रतिवादी को पिछवाड़े में दरवाजा न करने संबंधी जो निष्कर्ष निकाला है वह प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित होकर विधि के मान्य विद्वांतों पर आधारित है, जिसमें अपीलाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

16. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

17. प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा या सूची अनुसार जो भी कम हो 500/- रुपए की सीता तक मान्य की जाती है।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)